न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/324

1. श्रीया आत्मज श्री चन्दा लाल बताई (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. नटी बाई बेवा श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 80 वर्ष ।
   1/2. हीरालाल पुत्र श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 58 वर्ष ।
   1/3. धनराज पुत्र श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 55 वर्ष ।
   1/4. मुकुट बिहारी पुत्र श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 50 वर्ष ।
   1/5. आनन्दी लाल पुत्र श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 45 वर्ष ।
   1/6. रामपाल पुत्र श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 40 वर्ष ।
   1/7. मुरारी पुत्र श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 38 वर्ष ।
   1/8. द्वारकिया बाई पुत्री श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 35 वर्ष ।
   1/9. गीताबाई पुत्री श्रीया उर्फ श्रीलाल उम्र 30 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम खेडली घाटा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. जगन्नाथी बाई पुत्री चन्दा जाति बलाई निवासी ग्राम खेडली घाटा तहसील दीगोद जिल कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री देवलाल गुर्जर ।
2. बृजमोहन पुत्र देवलाल गुर्जर ।
3. हीरालाल पुत्र देवपाल गुर्जर ।
4. छोटू लाल पुत्र श्री देवपाल गुर्जर ।
5. अमर लाल पुत्र श्री देवपाल गुर्जर ।
6. रतन बाई पुत्री श्री देवपाल गुर्जर ।
7. रामभरोस बाई पुत्री श्री देवपाल गुर्जर ।
8. राजेश बाई पुत्री श्री देवपाल गुर्जर ।
9. रामप्यारी बाई बेवा श्री देवपाल गुर्जर निवासीगण ग्राम खेडली घाटा तहसील दीगोद जिल कोटा ।
10. छोटू लाल पुत्र श्री रत्तीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेडली घाटा तहसील दीगोद जिला काटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र गोचर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 209 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.60 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है । वादग्रस्त आराजी का सेटलमेंट विभाग के द्वारा रकबा कम कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 354 के गत नम्बर 249 मिन नम्बर को खाता सिवायचक दर्ज करते हुए गैर मु0 नाला दर्ज कर दिया गया है जबकि पूर्व में यह खसरा नम्बर प्रार्थीगण के खाते दर्ज था तथा खसरा नम्बर 255 का रकबा 0.24 हैक्टर तथा गत नम्बर खसरा नम्बर 252 का मीन नम्बर का रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा अंकित था । इस प्रकार अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 के खाते 0.68 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई है । सेटलमेंट अधिकारियों को न तो खातेदारी में परिवर्तन करने का अधिकार है और न ही रकबे को कम करने का अधिकार है और न ही भूमि की किस्म बदलने का अधिकार है । खसरा नम्बर 356 की 0.31 हैक्अर, खसरा नम्बर 357 की 0.37 हैक्टर का गत खसरा नम्बर 252 मिन नम्बर अंकित किये गये हैं । खसरा नम्बर 356 की रकबा 0.31 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण का काफी लम्बे समय से करीबन 70–80 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है । खसरा नम्बर 355 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि पर अप्रार्थीग्ण क्रम 10 प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं तथा अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 भी खसरा नम्बर 356 पर से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 239, 332, 355, 354 एंव 356 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखन्दाजी नहीं करे एवं कब्जा काश्त नहीं करने दे आराजी से बेदखल नहीं करे तथा उक्त भूमि को बेचान नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 356 रकबा 0.31 हैक्टर पर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.06.2012 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना प खारिज करते हुए अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त करने स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 356 रकबा 0.31 हैक्टर प तहसीलदार, दीगोद को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2012 से व्यथित होक प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आरा खसरा नम्बर 356 रकबा 0.31 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट का काफी लम्बे समय से कब्जा का चला आ रहा है । अपीलान्ट ने कब्जे के सम्बन्ध में दो गवाहान का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कि था । अप्रार्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार दीगोद को पैमाईश बाबत् भी दिया ग था तथा तहसीलदार दीगोद के द्वारा उक्त आराजी की पैमाईश भी की गई और समस्त ग्रामी से पूछताछ के बाद भी प्रार्थीगण का ही कब्जा पाया गया । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत् रिसीवर नियुक्त जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें सम्पूर्ण पक्षकारों का उल्लेख नहीं कि गया । इस कारण कानूनन प्रार्थना पत्र में पक्षकारों को नहीं बनाये जाने पर प्रार्थीगण का प्राथ पत्र मेन्टेनेबल नहीं होता है । रिसीवर का उपचार कठोरत उपचार है जो विशेष परिस्थितियो ही काम में लिया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2012 निरस्त फरमाया जवे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गइ उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहर और निवेदन किया कि अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी पर काफी समय से कब्जा है । दौरान रेस्पोडेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर अधीनस्थ न्यायाल पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद आराजी पर तहसीलदार, दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपील काफी लम्बे समय से काबिज काश्त है । अपीलान्ट के द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में गवाहों के श पत्र भी पेश किये हैं इसके बावजूद प्रार्थना पत्र खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी इनमि नहीं है । रिसीवर नियुक्त करने में त्रुटि की है । तहसीलदार के द्वारा आराजी की पैमाईश गई और समस्त ग्रामीणों से पूछताछ के बाद प्रार्थीगण अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर क पाया गया । अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार हो चुके हैं । इसके बावजू प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अप्रार्थीगण ने रिसीवर नियुक्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र किया है जिसमें सम्पूर्ण पक्षकारों का उल्लेख नहीं किया है । रिसीवर एक कठोरतम उपचार अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि 01.06.2012 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा की जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्
खाते की है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट के सम्पूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप
हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रिसीवर नियुक्त किया है । अतः उ
अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.
बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की
पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 18
209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसके साथ प्रार्थना
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश करते हुए यह कथन किय
अपीलान्ट प्रार्थीगण का रकबा सेटलमेंट विभाग ने कम कर दिया है और अप्रार्थीगण के ख
0.68 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी है । खसरा नम्बर 356 रकबा 0.31 हैक्टर पर प्रार्थीगण का
है । अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

11. अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । पत्रावली पर फोटो
नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 संलग्न है जिसमें प्रार्थी के खाते में 03 किता की
हैक्टर आराजी दर्ज है । खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति भी पेश की गई है । मिलान क्षे
की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 356 रकबा 0.31
साबिक खसरा नम्बर 252 मिन रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा से कायम हुआ है । मुताबिक
जमाबन्दी संवत् 2013 से 2032 साबिक खसरा नम्बर 252 मिन रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा
वलद ग्यारसी राम कौम गुर्जर के खाते में दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर जो अभ
रिकॉर्ड पेश किया गया है उसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 356 का रकबा 0.31
अपीलान्ट प्रार्थीगण के खाते की आराजी से बना है ऐसा सिद्ध नहीं होता है ।

12. पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर
अपीलान्ट प्रार्थीगण के खाते की आराजी कम की जाकर किस खसरा नम्बर में शामिल व
है । यह भी मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा इस स्टेज पर नहीं । ऐसी स्थि
अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय ने विधि
रूप से खारिज किया है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आर
से खसरा नम्बर 356 रकबा 0.31 हैक्टर पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किय
रेस्पोडेन्टगण द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें खसरा नम्बर 356
0.31 हैक्टर आरजी पर स्वयं का कब्जा बताया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज
की प्रार्थना की गई है । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आराजी खसरा
356 रकबा 0.31 हैक्टर पर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त करने के लिए प्रार्थ
पेश किया था जिसका जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश किया है । अधीनस्थ न्याया
दावा अपीलान्ट वादीगण ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है ।

14. रिसीवर एक कठोरतम उपचार होता है । प्रकरण में पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे, इस स्टेज पर नहीं । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में रिसीवर नियुक्त के आदेश को हम विधि सम्मत नहीं मानते हैं । रेस्पोडेन्टगण एक तरफ जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताते हैं और दूसरी तरफ इसी आराजी पर रिसीवर नियुक्त करवाना चाहते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर स्वीकार करने में त्रुटि की है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2012 निरस्त किया जाता है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है और रेस्पोडेन्टगण के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने का भी खारिज किया जाता है।

16. निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा